(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शंकरलाल बनाम दीपचन्द

रस्म मुकदमा ......वाद...... नं0 ......192...... सन् ......2016......

क.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
-16	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 15-9-16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	-
18-9-16	वकील वादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र आपसी राजीनामा का प्रस्तुत किये जाने के पत्रावली मिसल के तलब की गयी। पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी क्र-192 स्वयं उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी क्र 192 ने उपस्थित होकर आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। आपसी राजीनामा को वादी एवं प्रतिवादी क्र 192 को पढ़कर सुनाया गया। जिसे सही होकर स्वीकार किया। तथा आपसी राजीनामा के आधार ही वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। तथा आपसी राजीनामा पर मनन किया गया। विवादित काश्तकारान आराजी मौजा मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील मांडल में स्थित होकर वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत खातेदारी जमाबंदी व नकल खसरा 2071 से 2074 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। इस कारण वादी एवं प्रतिवादी क्र.192 के मध्य आपस में राजीनामा हुआ। जिसके वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करेंगे, न किसी अन्य से करायेंगे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	दीपचन्द नारायणलाल (हस्ताक्षर) प्रति के एडवोकेट 8.9.2016 शंकरलाल (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) (Lakhanlal [illegible])

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	न ही वादी की उपरोक्त वर्णित आराजियात पर लगी बाड़ को नष्ट करेंगे। तथा न ही गैरकानूनी तौर पर प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर आपसी राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। :: आदेश :: वादी का वाद पत्र आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण 1 से 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मौजा पटवार हलका मौजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नं. 1094 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1095 रकबा 1 बीघा, 1096 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1097 रकबा 6 बिस्वा, 1098 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 1099 रकबा 9 बिस्वा, 2689/1099 रकबा 6 बिस्वा, कुल किता 7 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, एवं आराजी नं. 2844/1125 रकबा 10 बिस्वा आदि के उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें। तथा वादी की वादग्रस्त आराजियात पर लगी बाड़ को नष्ट करें न ही गैरकानूनी तौर पर वादी की आराजियात में ही प्रवेश करें। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्ध जारी की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0) .

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–192/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजरथान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री शंकरलाल पिता हीरालाल अजमेरा, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा —————वादी

बनाम

1–दीपचन्द पिता हमीर कीर, उम्र बालिग निवासी नया मेजा, तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

2–श्री नारायण पिता दीपचन्द्र कीर, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

3–श्री बंशी पिता दीपचन्द्र कीर, उम्र बालिग निवासी मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा ———प्रतिवादीगण

—————

वादी की ओर से श्री गोपाल अजमेरा, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री प्रदीप कुमार व्यास, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 8.9.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि — और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि — को दी जायें।

वादी का वाद पत्र आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1094 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1095 रकबा 1 बीघा, 1096 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 1097 रकबा 6 बिस्वा, 1098 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 1099 रकबा 9 बिस्वा, 2689/1099 रकबा 6 बिस्वा, 2844/1125 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें। न ही अनाधिकार तौर पर वादी की आराजियात में ही प्रवेश करें। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी की जाती हैं। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देबी सिंह रावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 8.9.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा